03/01/23

पत्रावली आज पेश हुयी। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्याः 164/2022

र्थीगण :–

1. गणेशाराम पुत्र मांगाराम
2. हनुमानराम पुत्र मांगाराम
3. हराराम पुत्र मांगाराम
4. पुरी पत्नी मांगाराम
5. मनराराम पुत्र बोताराम
6. सवदाराम पुत्र बोताराम

कौम कलबी निवासी सिंधासवा हरनियान, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मैरामा पुत्र खूमा
2. गणेशा पुत्र कस्तूरा
3. जबराराम पुत्र मांगा
4. जामताराम पुत्र मांगा
5. बाबूलाल पुत्र मांगा
6. भूपाराम पुत्र मांगा
7. रमेशकुमार पुत्र मांगा
8. सीमा पत्नी मांगा
9. चुतराराम पुत्र रावताराम
10. चनणो पत्नी रावताराम
11. जवानाराम पुत्र रावताराम
12. सुजानाराम पुत्र रावताराम
13. हाजाराम पुत्र रावताराम

कौम मेगवाल निवासीसिंधासवा हरनियान, तहसील गुड़ामालानी

14. आसूराम पुत्र पीराराम
15. ओमप्रकाश पुत्र पीराराम
16. कालूराम पुत्र पीराराम
17. रायचन्द पुत्र पीराराम
18. सुरताराम पुत्र पराराम
19. शिवलाल पुत्र पीराराम
20. सीतादेवी पत्नीपीराराम
21. स्व0 जवानराज पुत्र रामजी फौत के कायम मुकाम :–

21/1 जगाराम पुत्र जवानराज

21/2 गजाराम पुत्र जवानराज

22. जीवाराम पुत्र हीराराम
23. बींजाराम पुत्र हीराराम

कौम नाई निवासी सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक :– 03.01.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 18, 21/1, 21/2, 22, 23 की

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित मौखित प्रतिरोध नहीं किया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध वावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 335 रकबा 5.1557 हैक्टेयर का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 335 रकबा 5.1557 हैक्टेयर हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 3/1/2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी